रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

# HRCAzette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बुहस्पतिवार, सितम्बर 22, 2005/भाद्र 31, 1927

सं. 410] No. 410]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2605/BHADRA 31, 1927

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2005

#### भारत गणराज्य और कोरिया गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण से संबद्ध संधि

सा.का.नि. 607( अ),—यतः भारत गणराज्य और कोरिया गणराज्य के बीच प्रत्पर्पण संधि पर नई दिल्ली में 5 अक्तूबर, 2004 को हस्ताक्षर किये गये थे और 8 जून, 2005 को सियोल में अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया और उक्त संधि में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं :

भारत गणराज्य और कोरिया गणराज्य (जिन्हें इसमें इसके बाद पक्षकार कहा जाए)

अपने द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने तथा प्रत्यर्पण से संबद्घ एक संधि संपन्न करने के द्वारा अपराध की रोकथाम और दमन में अपने सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाने की इच्छा से,

निम्नलिखितानुसार सहमत हए हैं :

अनुच्छेद-एक प्रत्यर्पण करने की बाध्यता

प्रत्येक पक्ष इस संधि के प्रावधानों के अनुसार, दूसरे पक्ष को ऐसे किसी व्यक्ति जो अनुरोधकर्त्ता पक्ष में किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के संबंध में अभियोजन / मुकदमे के ौलए अथवा दण्ड देने अथवा प्रर्वत्तन के लिए वांछित है, प्रत्यर्पित करने के लिए सहमत है ।

#### अनुच्छेद - दो प्रत्यर्पणीय अपराध

 इस संधि के प्रयोजन के लिए, प्रत्यर्पणीय अपराध वे अपराध हैं, जो अनुरोध के समय, दोनों पक्षकारों की विधियों के तहत कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्रता के वंचन अथवा अपेक्षाकृत कठोर दण्ड द्वारा दण्डनीय हैं।

2858 GI/05

(1)

2. जिस मामले म प्रत्यपण सबया जुंगज जुंगज किसी व्यक्ति से संबंधित है, प्रत्यर्पण के किसी न्यायालय द्वारा स्वतंत्रता के वंचन से सजायापत्ता किसी व्यक्ति से संबंधित है, प्रत्यर्पण केवल तमी स्वीकृत किया जाएगा यदि कम से कम छह(6) माह की अवधि की सजा दिया जाना जिस मामले में प्रत्यपंण संबंधी अनुरोध किसी प्रत्यपंगीय अपराध के लिए अनुरोधकर्ता पक्ष शेष रहता हो ।

अपराध दोनो इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, यह सुनिश्चित करने में कि क्या कोई पक्षों की विधियों के विरुद्ध कोई अपराध है : 3.

-

आचरण अपराध की समान श्रेणी के भीतर अपराध बनता है या अपराध को समान (क) इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि क्या पक्षकारों की विधियों के अंतर्गत शब्दावली द्वारा निर्दिष्ट करता है ; और

ध्यान में रखा जाएगा और यह बात महत्वहीन है कि क्या, पक्षकारों की विधियों के तहत (ख) उस व्यक्ति के विरुद्ध तथाकथित आचरण की समग्रता जिसका प्रत्यर्पण वांछनीय है, अपराघ के घटक तत्व मिन्न हैं।

विधि समान प्रकार का कर या शुल्क नहीं लगाता है या अनुरोधकर्ता पक्ष की विधि के अंतर्गत वांछित है, प्रत्यर्पण से इन आधारों पर इंकार नहीं किया जा सकता कि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष की जिस मामले में किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण करारोपण, सीमा - शुल्क, विदेशी विनिमय नियंत्रण या अन्य राजस्व मामलों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संबंध में समान प्रकार के किसी कर, शुल्क, सीमा - शुल्क या विनिमय विनियमन के प्रावधान नहीं हैं । जहां अपराध अनुरोधकर्ता पक्ष के प्रदेश के बाहर किया गया है, प्रत्यर्पण प्रदान किया जाएगा जहां अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष की विधि में ऐसा प्रावधान नहीं होता है, अनुरोध प्राप्त कर्ता पक्ष अपने विवेक से प्रत्यर्पण प्रदान कर सकता है । 2

विधि के तहत दण्डनीय अपराध है, किंतु उनमें से कुछ इस अनुच्छेद के पैरा -1 और 2 में निर्दिष्ट अन्य शतौं को पूरा नहीं करते हैं, प्रत्यर्पण अपराधों के लिए प्रदान किया जा सकता है बशतें कि वह व्यक्ति कम से कम एक प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यपित किया जाना है । यदि प्रत्यर्गण संबंधी अनुरोध अनेक अपराधों से संबंधित है जिनमें से प्रत्येक दोनों पक्षों की 6.

# अनुच्छेद - तीन इंकार के लिए अधिदेशात्मक आधार

इस संधि के तहत निम्नलिखित किंही परिस्थितियों में प्रत्यर्पण प्रदान नहीं किया जाएगा :

अनुरोध किया है एक राजनैतिक अपराध है या ऐसा अपराध किसी राजनैतिक अपराध से जुड़ा हुआ है । किसी राजनैतिक अपराध के संदर्भ में निम्नलिखित अपराधों को शामिल नहीं किया जब अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष यह निर्धारित करता है कि अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का जाएगा | हुआ हे (th)

हत्या (1) किसी राज्याध्यक्ष या शासन प्रमुख अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की या हत्या का प्रयास या उस पर कोई हमला ; [भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(ii) ऐसा अपराध जिसके संबंध में दोनों पक्षों के किसी बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि/ अभिसमय जिसके दोनों पक्षकार हैं, के कारण प्रत्यर्पण करने या अभियोजन के लिए अपने-अपने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष मामले प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं ;

(iii) हत्या या संदोष मानवबध / मानवबध ;

(iv) एक अपराध जिसमें आग्नेयास्त्र, विस्फोटक, गृहदाह, विनाशक प्रणालियां या पदार्थ शामिल हों, जिनसे मृत्यु, गंभीर शारीरिक चोट या संपत्ति के लिए भारी नुकसान हो ; अथवा

(v) कोई षड़यंत्र या उल्लिखित अपराधों में से किसी को करने का प्रयास या भागीदार हो,

(ख) जब वांछित व्यक्ति के विरुद्ध अनुरोध प्राप्त कर्त्ता पक्ष के प्रदेश में उस अपराध के लिए जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है कार्यवाही चलाई गई है या मुकदमा चलाया गया है और दोष सिद्ध या दोषमुक्त किया है ।

(ग) जब उस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है, अभियोजन का दण्ड अनुरोध प्राप्त कर्त्ता राज्य की विधि के तहत कालातीत द्वारा बाधित हो गया हो, अनुरोध प्राप्त कर्त्ता पक्ष ब प्रदेश में समान अपराध किया गया था । वे कृत्य अथवा परिस्थितियां जिनमें अनुरोध कर्त्ता पक्ष क विधि के तहत कालातीत निलम्बित हो जाएगा, अनुरोध प्राप्त कर्त्ता पक्ष द्वारा कार्यान्वित किय जाएगा, तथा इस संबंध में अनुरोध कर्त्ता पक्ष कालातीत के संबंध में अपनी विधि के संगत प्रावधानों का एक लिखित विवरण प्रदान करेगा ।

(घ) जब अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष के पास यह मानने के लिए सुरस्थापित कारण है कि प्रत्यर्पण संबधी अनुरोध जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग या राजनीतिक राय के कारण अथवा उस व्यक्ति की स्थिति इन कारणों में से किसी के लिए पूर्वाग्रह हो सकता है, वांछित व्यक्ति पर अभियोग चलाने अथवा दण्डित करने के मद्देनजर प्रस्तुत किया गया है।

#### अनुच्छेद - चार इंकार के लिए वैकल्पिक आधार

इस संधि के तहत किंही निम्निलिखित परिस्थितियों में प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है :-

(क) जब उस अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण मांगा गया है अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष की विधि के तहत वह उसके प्रदेश के भीतर संपूर्ण रूप में अथवा आंशिक रूप में किया गया माना गया है । यदि प्रत्यर्पण से मात्र इस आधार पर इंकार किया जाता है, तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष, अनुरोधकर्त्ता पक्ष के अनुरोध पर, अभियोजन के लिए अपने प्राधिकारियों के समक्ष मामले को प्रस्तुत कर सकता है । जब उस आधार पर प्रत्यर्पण से इंकार किया है और इसके पश्चात अभियोजन अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष में व्यवहार्य नहीं पाया गया है चाहे जो भी कारण हो, तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष अनुरोधकर्त्ता पक्ष में व्यवहार्य नहीं पाया गया है चाहे जो भी कारण हो, तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष अनुरोधकर्त्ता पक्ष इसे सूचित करेगा। ऐसी परिस्थितियों में,अनुरोधकर्त्ता पक्ष अनुरोध पर पुनः विचार करेगा ;

3

[PART II-SEC. 3(i)]

(ख) जब वांछित व्यक्ति समान अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है किसी तीसरे राज्य में अंतिम रूप से दोषमुक्त या दोषसिद्ध कर दिया गया है और, यदि दोषसिद्ध हो, तो दी गई सजा पूर्णरूप से प्रवर्तित हो गई है या प्रवर्तनीय नहीं है ;

(ग) जब, विशेष मामलों में, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष अपराध की गंभीरता और अनुरोधकर्ता पक्ष के हित को भी ध्यान में रखते हुए मानता है कि प्रत्यर्पण मानवीय आधार, विशेषरूप से चांछित व्यक्ति की आयु या स्वास्थ्य के परस्पर विरोधी हो ;

(घ) जब वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है सैन्य विधि के तहत एक अपराध है, जो सामान्य आपराधिक विधि के तहत भी कोई अपराध नहीं है ।

#### अनुच्छेद - पांच प्रत्यर्पण का रथगन

जब वांछित व्यक्ति अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पंक्ष में किसी अन्य अपराध के लिए जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, के विरुद्ध कार्यवाही ही चल रही है या कोई सजा काट रहा है, अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष वांछित व्यक्ति का समर्पण कर सकता है या कार्यवाहियों की समाप्ति या दी गई संपूर्ण सजा अथवा सजा के किसी भाग को काटने तक समर्पण स्थागित कर सकता है। अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष अनुरोध कर्त्ता पक्ष को किसी स्थगन के बारे में सूचित करेगा ।

#### अनुच्छेद - छह राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण

1. दोनों में से कोई पक्ष इस संधि के तहत अपने स्वयं के राष्ट्रिकों को प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य नहीं होगा, किंतु अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष के पास ऐसे व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने का अधिकार होगा यदि उसके विवेक में, ऐसा करना उचित समझा गया हो ।

2. यदि प्रत्यर्पण से वांछित व्यक्ति की मात्र राष्ट्रीयता के आधार पर इंकार किया जाता है, तो अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष, अनुरोधकर्त्ता पक्ष के अनुरोध पर, अभियोजन के लिए अपने प्राधिकारियों के समक्ष मामले को प्रस्तुत करेगा ।

 राष्ट्रीयता उस अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है, के करने के समय निर्धारित की जाएगी।

#### अनुच्छेद - सात प्रत्यर्पणक्रिया-विधियां और अपेक्षित दस्तावेज

1. प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध राजनयिक माध्यामों के जरिए लिखित में प्रस्तुत किया जाएगा ।

2. प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध के साथ संलग्न होगा :-

(क) वे दस्तावेज जो पहचान का वर्णन करें और यदि संभव हो, वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता और अवस्थिति;

(ख) मामलें के तथ्यों का एक विवरण ;

भारत का राजपत्र : असाधारण

5

(ग) अफ्राध के आवश्यक घटकों तथा विशेष विवरण वर्णित करने वाली विधियों का एक विवरण ;

(घ) अपराध के लिए दण्ड वर्णित करने वाली विधियों का एक विवरण ; और

(ड) अपराध के दण्ड के निष्पादन के अभियोजन पर समय सीमा से संबंधित विधियों का एक विवरण ।

3. जब प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो अभियोजन / मुकदमे के लिए वांछित है, इसके साथ संलग्न होगा :-

(क) अनुरोधकर्त्ता पक्ष के एक न्यायाधीश अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी के वांरट की एक प्रति ;

(ख) यह स्थापित करने वाली सूचना कि वांछित व्यक्ति वही व्यक्ति है जिससे संबंधित गिरफ्तारी का वारंट है, और

(ग) अपराध बनने के लिए तथाकथित आचरण के संबंध में एक विवरण जो यह मानने का तार्किक आधार प्रदान करेगा कि वांछित व्यक्ति ने वह अपराध किया है जिसके लिए प्रत्यर्पण अनुरोध किया है ।

4. जब प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध मुकदमा चले हुए तथा दोषसिद्ध किसी व्यक्ति से संबंधित है, इसके साथ संलग्न होगा :

(क) दोषसिद्धि और दी गई सजा निर्दिष्ट करने वाले निर्णय की एक प्रमाणित प्रति;

(ख) यह स्थापित करने वाली सूचना कि वांछित व्यक्ति वहीं व्यक्ति है जो दोषसिद्ध हुआ है ; और

(ग) वह अपराध जिसके लिए उस व्यक्ति को दोषसिद्ध किया था, बनाने वाले आचरण के संबंध में एक विवरण ।

5. प्रत्यर्पण अनुरोध और इस संधि के अनुसरण में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी समर्थनकारी दस्ताबेज सत्यापित होंगे तथा भारत गणराज्य के लिए किए जाने वाले किसी अनुरोध के संबंध में अंग्रेजी भाषा में उसके साथ एक अनुवाद संलग्न हो तथा कोरिया गणराज्य के लिए किए जाने वाले किसी अनुरोध के संबंध में कोरियाई भाषा में उसके साथ एक अनुवाद संलग्न हो ।

6. इस संधि के प्रयोजन के लिए एक दस्तावेज सत्यापित है, यदि वह अनुरोधकर्ता पक्ष के किसी न्यायधीश या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या प्रमाणित किया गया है तथा अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी की सरकारी मोहर लगी है ।

#### अनुच्छेद आठ संपूरक सूचना

1. यदि किसी स्तर पर अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष समझता है कि प्रत्यर्पण संबंधी किसी अनुरोध

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

के समर्थन में प्रस्तुत सूचना इस संधि के अनुसार पर्याप्त नहीं है जिससे प्रत्यर्पण प्रदान किया जाना है, वह पक्ष यह अनुरोध कर सकता है कि संपूरक सूचना ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत की जाए जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सके ।

2. यदि उस व्यक्ति जिसका प्रत्यर्पण मांगा है गिरफ्तार है तथा प्रस्तुत संपूरक सूचना इस संधि के अनुसार पर्याप्त नहीं है या निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं हुई है, उस व्यक्ति को हिरासत से छोड़ा जा सकता है। ऐसी रिहाई अनुरोध कर्त्ता पक्ष को उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का एक नया अनुरोध करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी ।

 जहां पैरा 2 के अनुसार अभिरक्षा से रिहा व्यक्ति के बारे में अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष अनुरोध कर्त्ता पक्ष को यथा शीघ्र व्यवहार्य होने पर सूचित करेगा ।

#### अनुच्छेद नौ अनंतिम गिरफ्तारी

1. तात्कालिकता के मामले में कोई पक्ष प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध के प्रस्तुतीकरण के लम्बित होने पर वांछित व्यक्ति की अस्थायी गिरफ्तारी का अनुरोध कर सकता है । अनंतिम गिरफ्तारी संबंधी एक अनुरोध राजनयिक माध्यमों के जरिए संप्रेषित किया जाए या सीधे भारत गणराज्य के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा कोरिया गणराज्य के न्याय मंत्रालय के बीच।

2. अनन्तिम गिरफ्तारी संबंधी आवेदन लिखित में यथा समाविष्ट होंगे :

(क) व्यक्ति की राष्ट्रीयता से संबंधित सूचना सहित वांछित व्यक्ति का एक हुलिया;

(ख) वांछित व्यक्ति की अवस्थिति, यदि जानकारी हो;

(ग) यदि संभव हो, अपराध करने का समय और स्थान सहित मामले के तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण :

(घ) जिन कानूनों का उल्लंघन किया गया हो उनका विवरण;

(ङ) वांछित व्यक्ति के विरूद्ध गिरफ्तारी का वारंट, अथवा दोषसिद्धि का निर्णय होने का विवरण; और

(च) इसके साथ ही यह सूचित करना होगा कि वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध बाद में भेजा जाएगा ।

3. ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्षकार, वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और इसके परिणाम के बारे में अनुरोधकर्त्ता पक्षकार को तुरंत सूचित किया जाएगा ।

4. यदि अनुरोधकर्त्ता पक्षकार, गिरफ्तारी की तिथि से 45 दिन के अंदर, अनुच्छेद -7 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित प्रत्यर्पण का अनुरोध प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा । परंतु इस रिहाई के कारण वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के उद्देश्य से मुकदमा चलाने से अनुरोधकर्त्ता पक्षकार को रोका नहीं जा सकता बशर्ते कि अनुरोध बाद में प्राप हो जाए ।

5. अनंतिम गिरफ्तारी की अवधि, अनंतिम गिरफ्तारी की तिथि से किसी भी हालत में 60 दिन र अधिक नहीं होगी ।

#### अनुच्छेद - दस सरलीकृत प्रत्यर्पण

जब कोई वांछित व्यक्ति, अनुरोधकर्त्ता पक्षकार के न्यायालय को अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारियों को यह समझा देगा कि वह स्वयं के प्रत्यर्पण के लिए सहमत है तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्षकार, अपने कानूनों के अधीन अनुमत्य सीमा तक प्रत्यर्पण में तेजी लाने के लिए सभी जरूरी उपाय करेगा ।

#### अनुच्छेद -ग्यारह समवर्ती अनुरोध

1. जब एक ही व्यक्ति के प्रत्यर्पण हेतु, एक ही अपराध के लिए या भिन्न -भिन्न अपराधों के लिए दो या अधिक राज्यों से अनुरोध प्राप्त हों तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्षकार यह निश्चित करेगा कि इन राज्यों में से किस राज्य को उस वांछित व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया जाएगा और अपने निर्णय के बारे में उन राज्यों को सूचना देगा ।

2. यह निर्णय लेते समय कि वांछित व्यक्ति किस राज्य को प्रत्यर्पित किया जाएगा, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्षकार सभी संगत उपादानों पर जिनमें निम्नलिखित उपादान भी शामिल होंगे, विचार करेगा परंतु ऐसा करते समय वह इनके अलावा उपादानों पर भी विचार कर सकता है :-

- (क) वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता और उसके सामान्य निवास का स्थान;
- (ख) क्या अनुरोध किसी प्रयोज्य संधि अथवा व्यवस्था के अनुसरण में किया गया है;
- (ग) वह समय, जब और वह स्थान, जहां प्रत्येक अपराध घटित हुआ था;
- (घ) अनुरोधकर्ता राज्यों के अपने-अपने हित;
- (ङ) अपराधों की गंभीरता;
- (च) अपराध पीड़ित की राष्ट्रीयता;
- (छ) अनुरोधकर्ता पक्षकारों के बीच आगे प्रत्यर्पण की संभावना; और
- (ज) अनुरोधों की तदनुरूपी तिथियां ।

#### अनुच्छेद -बारह आत्म-<del>राम</del>्र्यण

1. प्रत्यर्पण के अनुरोध पर निर्णय लिए जाते ही अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य, निर्णय की सूचना राजनयिक चैनलों के माध्यम से अनुरोधकर्ता राज्य को देगा । प्रत्यर्पण के अनुरोध की किसी आंशिक अथवा सम्पूर्ण अस्वीकृति के कारण दर्ज किए जाएं ।

 अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्षकार दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य और अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के कार्य क्षेत्र में किसी अवस्थान पर, वांछित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के सुपुर्द करेगा।

3. अनुरोधकर्ता पक्षकार, अनुरोधप्राप्त कर्त्ता पक्षकार के राज्य क्षेत्र से उस व्यक्ति को ऐसी समुचित अवधि के अंदर हटा लेगा जो कि अनुरोधप्राप्त कर्त्ता पक्षकार ने विनिर्दिष्ट की हो और यदि उस व्यक्ति को उस अवधि के अंदर नहीं हटाया जाता तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्षकार उस व्यक्ति को छोड़ सकता है और उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पित करने से इंकार कर सकता है।

4. यदि नियंत्रण से परे परिस्थितियों में कोई पक्षकार प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को नहीं सौंप पाता अथवा हटा पाता तो वह दूसरे पक्षकार को अधिसूचित करेगा और इस मामले में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के प्रावधान नहीं लागू होंगे । दोनों पक्षकार इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार सौंपे जाने अथवा हटाए जाने की तारीख का निर्धारण करेंगे ।

#### अनुच्छेद - तेरह संपत्ति का सोंघा जाना

1. अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्षकार के कानून की अनुमान्य सीमा तक ओर तृतीय पक्षकारों के अधिकारों के अनुरूप जिनका विधिवत आदर किया जाएगा, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्षकार के क्षेत्र में अपराध के परिणामरवरूप पाई गई सभी संपत्तियां जिनका अधिग्रहण किया गया हो अथवा जिनका साक्ष्य के तौर पर अधिग्रहण किया जाना हो, अनुरोधकर्त्तापक्षकार के अनुरोध पर सौंप दी जाएंगी यदि प्रत्यर्पण प्रदान कर दिया गया हो ।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुरूप अनुरोध कर्ता पक्षकार के अनुरोध करने पर उपर्युक्त संपत्ति अनुरोधकर्त्ता पक्षकार को सौंप दी जाएनी चाहे अपेक्षित व्यक्ति की मृत्यु गायव होने अथवा भाग जाने के कारणवश प्रत्यर्पण नहीं हो सके ।

3. जहाँ अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्षकार के कानून अथवा तृतीय पक्षकार के अधिकारों को संरक्षण अपेक्षित हो, वहाँ सौंपी गई कोई भी संपत्ति अनुरोधप्राप्तकर्त्ता के अनुरोध पर अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्षकार को निःशुल्क लौटा दी जाएगी ।

#### अनुच्छेद - चौदह विशेषता का नियम

1. इस संधि के तहत प्रत्यर्पित किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों से इतर वि भी परिस्थिति में नज़बंद नहीं किया जाए, नहीं मुकद्मा चलाया जाए अथवा न ही अनुरोध क पक्ष में दण्ड दिया जाए :- [भाग **II**—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(क) उस अपराध के लिए जिसपर प्रत्यर्पण प्रदान किया गया हो अथवा उन्हीं तथ्यों आधार पर निर्धारित भिन्न अपराध पर जिन पर प्रत्यर्पण प्रदान किया गया हो, बशर्ते उ प्रकार का अपराध प्रत्यर्पणीय हो, अथवा शामिल किया गया कमतर अपराध हो ;

ख) किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण के पश्चात अपराध को अंजाम दिया गया हो ; अथवा

ग) ऐसा अपराध जिसके लिए अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्षकार के कार्यकारी प्राधिकारी ख व्यक्ति की नज़रबंदी, उसपर मुकद्मा चलाने अथवा उसे किसी अपराध का दण्ड देने लिए सहमत हो;

#### इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थः

(i) अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्षकार द्वारा अनुच्छेद सात में मांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तु करना अपेक्षित हो सकता है ;

(ii) अपराध के संबंध में यदि प्रत्यर्पित व्यक्ति द्वारा दिए गए वक्तव्य की प्रति दी ग हो तो उसे अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्षकार को सौंपा जाएगा ; और

(iii) अनुरोध की पूर्ति के दौरान अनुरोध कर्त्ता पक्षकार द्वारा प्रत्यर्पित व्यक्ति क अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्षकार द्वारा प्राधिकृत समयावधि के लिए नज़रबंद किया जा सकता है

 इस संधि के अंतगर्त प्रत्यर्पित व्यक्ति को उसके प्रत्यर्पण से पूर्व किए गए अपराध के लिए तीसरे राज्य को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जबतक कि अनुरोधकर्त्ता पक्षकार की सहमति नहीं हो ।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 से प्रत्यर्पित व्यक्ति की नज़रबंदी, उसपे मुकद्मा चलाने अथवा दण्ड देने अथचा किसी तीसरे राज्य में उसके प्रत्यर्पण पर रोक नहीं लगेगी, यदि :

(क) वह व्यक्ति प्रत्यर्पण के पश्चात अनुरोध कर्त्ता पक्षकार के क्षेत्र को छोड़ देता है और स्वेच्छा से उसमें लौट आता है ; अथवा

(ख) जाने के लिए स्वतंत्र होने के 45 दिवसों के बीच वह व्यक्ति अनुरोध कर्त्ता पक्षकार के क्षेत्र को नहीं छोड़ता ।

#### अनुच्छेद - पंद्रह परिणामों की सूचना

अनुरोध कर्त्ता पक्षकार प्रत्यर्पित व्यक्ति अतः उस व्यक्ति के तीसरे राज्य में पुनः प्रत्यर्पित होने पर उसके विरूद्ध कार्यवाहियों से अथवा दण्ड लगाने से संबंधित सूचना अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार को देगा ।

285862/05-2

|--|

भारत का राजपत्र : असाधारण

 यह संधि अपने प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व और बाद में होने वाले अपराधों पर भी लागू होगी ।

3. कोई भी पक्षकार किसी भी समय राजनयिक चैनल के माध्यम से लिखित नोटिस द्वारा इस संधि को समाप्त कर सकता है । नोटिस देने की तारीख से छह(6) महीने पश्चात इसका समापन हो जाएगा ।

जिसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होते हुए इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं ।

दो प्रतियों में नई दिल्ली में वर्ष दो हजार चार के अक्टूबर माह के 5 वीं तारीख को हिंदी, कोरियाई और अंग्रेज़ी भाषाओं में संपन्न, सभी पाठ समान रूप से मान्य होंगे । निर्वचन में भिन्नता होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

अतः अब प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962(1962 का 34) की धारा 3 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा निदेश देती है कि अध्याय -।।। को छोड़कर उक्त अधिनियम के प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कोरिया गणराज्य पर लागू होंगे ।

> [फा. सं. टी. 413/7/2002] आर. आर. दाश, संयुक्त सचिव (सीपीवी)

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

#### ORDER

### New Delhi, the 20th September, 2005

# Treaty on Extradition between the Republic of India and the Republic of Korea

G.S.R. 607(E).—Whereas the Treaty on Extradition between the Republic of India and the Republic of Korea was signed at New Delhi, on 5th October, 2004; and the instruments of ratification exchanged at Seoul on 8th June, 2005 and which treaty provides as follows :

The Republic of India and the Republic of Korea (hereinafter referred to as "the Parties"),

Desiring to strengthen their bilateral relations and to make more effective their cooperation in the prevention and suppression of crime by concluding a treaty on extradition,

Have agreed as follows:

#### Article 1.

#### **Obligation to Extradite**

Each Party agrees to extradite to the other, in accordance with the provisions of this Treaty, any person who is wanted in the Requesting Party for prosecution/trial, or imposition or enforcement of punishment for an extraditable offence.

#### Article 2

#### **Extraditable Offences**

1. For the purpose of this Treaty, extraditable offences are offences which, at the time of the request, are punishable under the laws of both Parties by deprivation of liberty for a period of at least one year or by a more severe penalty.

2. Where the request for extradition relates to a person sentenced to deprivation of liberty by a court of the Requesting Party for any extraditable offence, extradition shall be granted only if a period of at least six (6) months of the sentence remains to be served.

3. For the purpose of this Article, in determining whether an offence is an offence against the laws of both Parties:

(a) it shall not matter whether the laws of the Parties place the conduct constituting the offence within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology; and

(b) the totality of the conduct alleged against the person whose extradition is sought shall be taken into account and it shall not matter whether, under the laws of the Parties, the constituent elements of the offence differ.

4. Where extradition of a person is sought for an offence against a law relating to taxation, customs duties, foreign exchange control or other revenue matters, extradition may not be refused on the grounds that the law of the Requested Party does not impose the same kind of tax or duty or does not contain a tax, duty, customs or exchange regulation of the same kind as the law of the Requesting Party.

5. Where the offence has been committed outside the territory of the Requesting Party, extradition shall be granted where the law of the Requested Party provides for the punishment of an offence committed outside its territory in similar circumstances. Where the law of the Requested Party does not so provide, the Requested Party may, in its discretion, grant extradition.

6. If the request for extradition refers to several offences each of which is punishable under the laws of both Parties, but some of which do not fulfil the other conditions set out in paragraphs 1 and 2 of this Article, extradition may be granted for the offences provided that the person is to be extradited for at least one extraditable offence.

#### Article 3

#### Mandatory Grounds for Refusal

Extradition shall not be granted under this Treaty in any of the following circumstances:

(a) when the Requested Party determines that the offence for which extradition is requested is a political offence or an offence connected with a political offence. Reference to a political offence shall not include the following offences:

(i) the taking or attempted taking of the life or an assault on the person of a Head of State or Head of Government or a member of his or her family;

(ii) an offence in respect of which the Parties have the obligation to extradite or submit the case to their competent authorities for prosecution, by reason of a multilateral international treaty/convention to which they are both parties;

(iii) murder or culpable homicide/manslaughter;

(iv) an offence, involving firearms, explosives, incendiaries, destructive devices or substances, causing death, grievous bodily harm or serious damage to property; or

(v) a conspiracy or attempt to commit, or participation in, any of the foregoing offences;

(b) when the person sought is being proceeded against or has been tried and convicted or acquitted in the territory of the Requested Party for the offence for which his extradition is requested;

(c) when the prosecution or the punishment for the offence for which extradition is requested would have been barred by lapse of time under the law of the Requested Party had the same offence been committed in the Requested Party. Acts or circumstances that would suspend the lapse of time under the law of the Requesting Party shall be given effect by the Requested Party, and in this regard the Requesting Party shall provide a written statement of the relevant provisions of its law relating to the lapse of time;

(d) when the Requested Party has well-founded reasons to suppose that the request for extradition has been presented with a view to prosecuting or punishing the person sought, by reason of race, religion, nationality, sex or political opinion, or that the person's position may be prejudiced for any of those reasons.

#### Article 4

#### **Optional Grounds for Refusal**

Extradition may be refused under this Treaty in any of the following circumstances:

#### THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

(a) when the offence for which extradition is sought is regarded under the law of the Requested Party as having been committed in whole or in part within its territory. If extradition is refused solely on this ground, the Requested Party shall, at the request of the Requesting Party, submit the case to its authorities for prosecution. Where extradition is refused on that ground and subsequently prosecution is not found feasible in the Requested Party for whatever reason, the Requested Party shall so inform the Requesting Party. In such circumstances, the Requesting Party may again request the extradition of that person. The Requested Party shall reconsider the request;

(b) when the person sought has been finally acquitted or convicted in a third State for the same offence for which extradition is requested and, if convicted, the sentence imposed has been fully enforced or is no longer enforceable;

(c) when, in exceptional cases, the Requested Party, while also taking into account the seriousness of the offence and the interests of the Requesting Party, deems that the extradition would be incompatible with humanitarian considerations, particularly the age or health of the person sought;

(d) when the offence for which extradition is requested is an offence under military law, which is not also an offence under ordinary criminal law.

#### Article 5

#### Postponement of Extradition

When the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Party for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested Party may surrender the person sought or postpone surrender until the conclusion of the proceeding or the service of the whole or any part of the sentence imposed. The Requested Party shall inform the Requesting Party of any postponement.

#### Article 6

#### **Extradition of Nationals**

1. Neither of the Parties shall be bound to extradite its own nationals under this Treaty, but the Requested Party shall have the power to extradite such person if, in its discretion, it is deemed proper to do so.

2. If extradition is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, the Requested Party shall, at the request of the Requesting Party, submit the case to its authorities for prosecution.

3. Nationality shall be determined at the time of the commission of the offence for which extradition is requested.

#### Article 7

#### Extradition Procedures and Required Documents

1. The request for extradition shall be submitted in writing through diplomatic channels.

14

#### भारत का राजपत्र : असाधारण

15

The request for extradition shall be accompanied by:

(a) documents which describe the identity, and, if possible, the nationality and location of the person sought;

(b) a statement of the facts of the case;

(c) a statement of the laws describing the essential elements and the designation of the offence;

(d) a statement of the laws describing the punishment for the offence; and

(e) a statement of the laws relating to the time limit on the prosecution or the execution of punishment of the offence.

3. When the request for extradition relates to a person who is wanted for prosecution/trial, it shall be accompanied by:

(a) a copy of the warrant of arrest issued by a judge or other competent authority of the Requesting Party;

(b) information establishing that the person sought is the person to whom the warrant of arrest refers; and

(c) a statement regarding the conduct alleged to constitute the offence such as would provide reasonable ground to believe that the person sought has committed the offence for which extradition is requested.

4. When the request for extradition relates to a person tried and convicted, it shall be accompanied by:

(a) a certified copy of the judgement setting out the conviction and the sentence imposed;

(b) information establishing that the person sought is the same person who has been convicted; and

(c) a statement regarding the conduct constituting the offence for which the person was convicted.

5. The extradition request and all supporting documents to be presented pursuant to the provisions of this Treaty shall be authenticated and accompanied by a translation thereof into the English language for a request to be made to the Republic of India and into the Korean language for a request to be made to the Republic of Korea.

6. A document is authenticated for the purpose of this Treaty, if it has been signed or certified by a judge or other competent officer of the Requesting Party and sealed by the official seal of the competent authority of the Requesting Party.

#### [PART II-SEC. 3(i)]

#### Article 8

#### Supplementary Information

1. If the Requested Party considers at any stage that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient in accordance with this Treaty to enable extradition to be granted, that Party may request that supplementary information be furnished within such time as it may specify.

2. If the person whose extradition is sought is under arrest and the supplementary information furnished is not sufficient in accordance with this Treaty or is not received within the time specified, the person may be released from custody. Such release shall not preclude the Requesting Party from making a new request for the extradition of that person.

3. Where the person is released from the custody in accordance with paragraph 2, the Requested Party shall notify the Requesting Party as soon as practicable.

#### Article 9

#### **Provisional Arrest**

1. In case of urgency, a Party may request the provisional arrest of the person sought pending the presentation of the request for extradition. A request for provisional arrest may be transmitted through diplomatic channels or directly between the Central Bureau of Investigation of the Republic of India and the Ministry of Justice of the Republic of Korea.

2. The application for provisional arrest shall be in writing and contain:

(a) a description of the person sought, including information concerning the person's nationality;

(b) the location of the person sought, if known;

(c) a brief statement of the facts of the case, including, if possible, the time and place of the commission of the offence;

(d) a description of the laws violated;

(e) a statement of the existence of a warrant of arrest, or judgement of conviction against the person sought; and

(f) a statement that a request for extradition of the person sought will follow.

3. On receipt of such an application, the Requested Party shall take the necessary steps to secure the arrest of the person sought and the Requesting Party shall be promptly notified of the result.

4. The person arrested may be set at liberty if the Requesting Party fails to present the request for extradition, accompanied by the documents specified in Article 7, within forty-five (45) days from the date of arrest, provided that this shall

not prevent the institution of proceedings with a view to extraditing the person sought if the request is subsequently received.

5. The period of the provisional arrest shall not, in any case, exceed sixty (60) days from the date of the provisional arrest.

#### Article 10

#### **Simplified Extradition**

When a person sought advises a court or other competent authorities of the Requested Party that he/she consents to his/her extradition, the Requested Party shall take all necessary measures to expedite the extradition to the extent permitted under its laws.

#### Article 11

#### **Concurrent Requests**

1. Where requests are received from two or more States for the extradition of the same person either for the same offence or for different offences, the Requested Party shall determine to which of those States the person is to be extradited and shall notify those States of its decision.

2. In determining to which State a person is to be extradited, the Requested Party shall consider all relevant factors, including but not limited to:

(a) the nationality and the ordinary place of residence of the person sought;

(b) whether the requests were made pursuant to an applicable treaty or arrangement;

(c) the time when and the place where each offence was committed;

(d) the respective interests of the requesting States;

(e) the gravity of the offences;

(f) the nationality of the victim;

285862/105-3

(g) the possibility of further extradition between the requesting States; and

(h) the respective dates of the requests.

#### Article 12

#### Surrender

1. The Requested Party shall, as soon as a decision on the request for extradition has been made, communicate that decision to the Requesting Party through diplomatic channels. Reasons shall be given for any complete or partial refusal of a request for extradition.

[PART II—SEC. 3(i)]

2 The Requested Party shall surrender the person sought to the competent authorities of the Requesting Party at a location in the territory of the Requested Party acceptable to both Parties.

3. The Requesting Party shall remove the person from the territory of the Requested Party within such reasonable period as the Requested Party specifies and, if the person is not removed within that period, the Requested Party may set that person at liberty and may refuse extradition for the same offence.

4. If circumstances beyond its control prevent a Party from surrendering or removing the person to be extradited, it shall notify the other Party, and in this case the provisions of paragraph 3 of this Article shall not apply. The two Parties shall mutually decide upon a new date of surrender or removal in accordance with the provisions of this Article.

#### Article 13

#### Surrender of Property

1. To the extent permitted under the laws of the Requested Party and subject to the rights of third parties, which shall be duly respected, all property found in the territory of the Requested Party that has been acquired as a result of the offence or may be required as evidence shall, if the Requesting Party so requests, be surrendered if extradition is granted.

2. Subject to paragraph 1 of this Article, the above-mentioned property shall, if the Requesting Party so requests, be surrendered to the Requesting Party even if the extradition cannot be carried out owing to the death, disappearance or escape of the person sought.

3. Where the law of the Requested Party or the protection of rights of third parties so requires, any property so surrendered shall be returned to the Requested Party free of charge if that Party so requests.

#### Article 14

#### **Rule of Speciality**

1. A person extradited under this Treaty may not be detained, tried, or punished in the Requesting Party except for:

(a) the offence for which extradition has been granted or a differently denominated offence based on the same facts, on which extradition was granted, provided such offence is extraditable, or is a lesser included offence;

(b) an offence committed after the extradition of the person; or

(c) an offence for which the executive authority of the Requested Party consents to the person's detention, trial, or punishment for an offence;

For the purpose of this subparagraph:

(i) the Requested Party may require the submission of the documents called for in Article 7;

(ii) a copy of statement, if any, made by the extradited person with respect to the offence shall be submitted to the Requested Party; and

(iii) the person extradifed may be detained by the Requesting Party for such period of time as the Requested Party may authorize, while the request is being processed.

2. A person extradited under this Treaty may not be extradited to a third State for an offence committed prior to his extradition unless the Requested Party consents.

3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall not prevent the detention, trial, or punishment of an extradited person, or the extradition of that person to a third State, if:

(a) that person leaves the territory of the Requesting Party after extradition and voluntarily returns to it; or

(b) that person does not leave the territory of the Requesting Party within 45 days of the day on which that person is free to leave.

#### Article 15

#### Information of Results

The Requesting Party shall provide timely information to the Requested Party relating to the proceedings against or the imposition or enforcement of punishment upon the person extradited or the re-extradition of that person to a third State.

#### Article 16

#### Transit

1. To the extent permitted by its law, transportation of a person surrendered to one Party by a third State through the territory of the other Party shall be authorized on request in writing made through diplomatic channels or directly between the Central Bureau of Investigation of the Republic of India and the Ministry of Justice of the Republic of Korea.

2. Authorization for transit shall not be required when air transport is to be used and no landing is scheduled in the territory of the Party of transit. If an unscheduled landing occurs in the territory of that Party, it may require the other Party to furnish a request for transit as provided in paragraph 1 of this Article.

#### Article 17

#### Costs

1. The Requested Party shall meet the cost of any proceedings in its jurisdiction arising out of a request for extradition.

[PART II—SEC. 3(i)]

2. The Requested Party shall bear the cost incurred in its territory in connection with the arrest and detention of the person whose extradition is sought, or the seizure and surrender of property.

3. The Requesting Party shall bear the cost incurred in removing the person whose extradition is granted from the territory of the Requested Party and the cost of transit.

#### Article 18

#### Consultation

1. The Parties shall consult, at the request of either Party, concerning the interpretation and the application of this Treaty.

#### Article 19

#### **Relations with International Conventions**

This Treaty shall not affect the rights and obligations of the Parties arising from multilateral international conventions/agreements to which they both are parties.

#### Article 20

#### **Entry into Force and Termination**

1. This Treaty is subject to ratification. It shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification.

2. This Treaty shall apply to offences committed before as well as after the date it enters into force.

3. Either Party may terminate this Treaty by giving notice in writing through diplomatic channels at any time. Termination shall take effect six (6) months after the date on which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at New Delhi on this 5<sup>th</sup> day of October 2004 in the Hindi, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the Republic of Korea with effect from the date of the publication of this notification.

[F. No. T. 413/7/2002] R. R. DASH, Jt. Secv. (CPV)

Printed by the Manager, Govi. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.